राजकीय महाविद्यालय, कमान्द, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड – 249131

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 एवं नवीन पाठ्यक्रम 2025 पर आधारित

www.gdckamand.in

स्नातक पाठ्यक्रमों

(बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम)

के लिए प्रवेश नियम 2026

राजकीय महाविद्यालय कमान्दः एक परिचय

राजकीय महाविद्यालय कमान्द की स्थापना शासनादेश संख्या–पृ0स0 327(1)/XXIV(7) /2016–36 (घो0)/15, शिक्षा अनुभाग–07 (उ0शि0) देहरादून दिनांक 29 जुलाई 2016 के अन्तर्गत की गई थी। महाविद्यालय का प्रारम्भ प्राचार्य डॉ0 अशोक कुमार (प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी) नोडल अधिकारी तथा एक संविदा प्राध्यापक विषय–इतिहास द्वारा किया गया। क्षेत्रीय जनाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु स्थापित इस महाविद्यालय में कला संकाय के छः विषयों–हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, संस्कृत, राजनीति विज्ञान एवं इतिहास ी कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। कमान्द में नये राजकीय महाविद्यालय की स्थापना एवं स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के कुल पदों 17 का सृजन शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा नियुक्ति तिथि जो भी बाद में हो से दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक के लिए सृजित करने की राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष अनुमति प्रदान की गई। इस क्रम में महाविद्यालय में प्राचार्य, प्रत्येक विषय के एक–एक असिस्टेंड प्रोफेसर, सहायक पुस्तकालयध्यक्ष, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक के एक–एक नियमित पद तथा पुस्तकालय लिपिक–01, बुकलिफ्टर–01, अनुसेवक–02, स्वच्छक–01 एवं चौकीदार–01 आदि पदों पर नियुक्ति आउटसोर्स के माध्यम से शासन की अनुमति पर करने की स्वीकृति मिली, जिनमें से प्रधान सहायक एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष का पद अद्यतन रिक्त है।

बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया जुलाई, 2016 से ही शुरू कर दी गई थी, जिसमें कुल 41 छात्र–छात्राओं ने संस्थागत छात्रों के रूप में प्रवेश लिया। भौतिक संसाधनों (यथा स्वभवन आदि) की अनुपलब्धता होने पर कक्षाओं का संचालन ग्राम सभा–कैंच्छू द्वारा प्रदत्त बारात घर एवं ऑफिस राजकीय इण्टर कॉलेज कमान्द द्वारा प्रदत्त भवन में सम्पादित किये गये। बी0ए0 द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं के लिए राजकीय महाविद्यालय कमान्द से पुनः 03 अन्य शिक्षण कक्षों की व्यवस्था की गई। यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि शासनादेश संख्या–413 (1)ग्ग्प्ट–5/2019–16 (08) 2018, 04 जुलाई 2019 के क्रम में प्रबन्धक शिक्षा विभाग, कमान्द, टिहरी गढ़वाल द्वारा महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु कुल रक्बा 1.005 हे0 भूमि प्रदान की गई। वर्तमान में भवन का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है और शीघ्र ही कार्यदायी संस्था (कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड) द्वारा भवन हस्तांतरण की सम्भावना है।

महाविद्यालय में वर्ष 2016 में जहाँ 41 छात्रों ने प्रवेश लिया वहीं 2017 से 2022 तक यह संख्या बढ़कर क्रमशः (53, 78, 114, 171) हो गई है। महाविद्यालय का परीक्षा परीणाम भी अधिकांश 80ः से 90ः के मध्य रहता है। सत्र 2018–19 में कॉलेज का प्रथम बैच पास आउट हुआ तथा अभी तक कुल 04 बैच उत्तीर्ण हो चुके हैं।

महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से प्राचार्या महोदया के विशेष व्यक्तिगत प्रयासों के परिणामस्वरूप एन0एस0एस0 की 100 छात्र संख्या वाली एक यूनिट का गठन राष्ट्रीय सेवा प्रकोष्ठ, राज्य एन0एस0एस0 अधिकारी के पत्र सं0 179/ XXIV–(9)/राष्ट्रीय सेवा योजना/15 (10) दि0 8 सितम्बर, 2022 के क्रम में एवं श्रीदेवसुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाीथौल टिहरी गढ़वाल के माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त किया गया है। कॉलेज की एन0एस0एस0 अधिकारी श्रीमती प्रवीन हैं। कॉलेज में प्राचार्या महोदया के विशेष प्रयास से रोवर एण्ड रेंजर का कोर्स भी खुल गया है, जिसमें कु0 प्रवीन प्रभारी हैं। साथ ही साथ कॉलेज में विभिन्न व्यवयायिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। कॉलेज के कला संकाय में साठ–साठ सीटें हैं, जिस कारण कुछ छात्र अपनी रूचि के अनुसार विषय लेने से वंचित रह जाते हैं। प्राचार्य महोदया के प्रयासों से 2024–25 में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र खोल दिया गया है जिसके प्रभारी डॉ. राकेश मोहन नौटियाल है।

छात्र एवं जनाकांक्षाओं के अनुरूप कमान्द में विज्ञान संकाय की आवश्यकता थी जिसके लिए सामूहिक प्रयास किया गया और अन्ततः माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड महोदय द्वारा घोषणा की गई और परिणामस्वरूप शासन एवं निदेशालय द्वारा विज्ञान संकाय खोलने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। शीघ्र ही विज्ञान संकाय हेतु भी भवन निर्माण प्रक्रिया का प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

इस प्रकार महाविद्यालय अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

प्रचार्य

राजकीय महाविद्यालय,

कमान्द, टिहरीगढ़वाल

प्रवेश नियम
(महाविद्यालय में प्रवेश हेतु)
(शैक्षणिक वर्ष 2025–2026 से प्रभावी)

अध्याय–1 साधारण नियम–

1.1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन (On Line) पद्धति से प्रवेश महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा किये जाएँगे सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे। **(महाविद्यालय में प्रत्येक विषय में 60 सीटें निर्धारित है।)**

1.2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

1.3 परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर अनन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायेगी तथा काउसलिंग आरम्भ होने की निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों को उपलब्ध करा दी जाएगी। परिसर/महाविद्यालय/संस्थान अनन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देगें जिनकी समस्त अर्हताओं तथा On Line प्रवेश आवेदन पत्र/फार्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मलू अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।

1.4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

1.5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वैबसाईट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ–पत्र पर हस्ताक्षर करने होगें। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे।

1.6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा साधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

1.7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय–परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ग) यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होनें पर ही प्रवेश देनें पर विचार किया जा सकता है।

(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1.8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी/समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

1.9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो,

एसे` अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नही ंदिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अर्न्तगत ''धोखाधड़ी से प्रवेश लेना'' माना जायेगा, तथा एसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्य दिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।

1.10 प्रवेशरत् किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण–पत्र

(Migration Certificate) सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/ संकाय में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

1.11 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है–

1. अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत
2. अनुसूचित जनजाति 04 प्रतिशत
3. अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैद्यता अवधि से पूर्व का न हो)

नोट– स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा–

1. महिलाऐं 30 प्रतिशत
2. भूतपूर्व सैनिक 05 प्रतिशत
3. दिव्यांग 05 प्रतिशत
4. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग की होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता–क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीति संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1.12 शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देर्शों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी।

(i) Extension in date of admission upto 30 days
(ii) Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.
(iii) Waiving of domicile requirements.

1.13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–

क.	एन0सी0सी0 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	25 अंक
ख.	राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)	20 अंक
ग.	प्रतिरक्षा सेनाओं में कायर्रत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/ पुत्री/पति/पत्नी/ सगाभाई/बहन–	20 अंक
घ.	जम्मू–कश्मीर में तैनात अर्द्ध–सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/सगा भाई बहन तथा जम्मू–कश्मीर से विस्थापित या	20 अंक

	उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/ सगाभाई/बहन–	
ङ.	अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करन` पर	50अ कं
च.	अन्तर–विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर	40 अंक
छ.	शासन द्वारा/खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करन` पर	30 अंक
ज.	राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
झ.	अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
ञ.	अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता	25 अंक
ट.	जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/ मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर	20 अंक
ठ.	अन्तर–महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर	15 अंक

नोट – उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम् 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम् योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

1.14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय/संकाय/महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय/संकाय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (छब्) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।

(ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

1.15 श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/परिसरों/संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0, सी0 सी0) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

1.16 क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यनू तम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में सकं ायाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद–विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता मं` गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य हागेा।

1.17 अभ्यथी द्वारा संबंधित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान में प्रवेश लेने के पश्चात् अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से संबंधित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के संबंध में भी लागू होगा।

1.18 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिगं संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एंव निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र–छात्रा के विरूद्ध नियमानसुार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। वैधानिक नियन्त्रण – विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवतर्न सभी पक्षों को मान्य होगा।

अर्हता निर्धारण के नियम
(शैक्षणिक सत्र 2026–2027 से प्रभावी)

अध्याय–2 अर्हता/योग्यता सूची निर्धारण के नियम –

1. स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश सीटों की निर्धारित सीमा तक सकायाध्यक्ष/प्राचार्य /निदेशक द्वारा इण्टरमीडिएट (Senior Secondary) (10+2) कक्षा मे ं अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जायेगें। उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित बोर्ड/यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें प्रवेश हेतु अर्ह होगें।

(क) कला, विज्ञान एव ं वाणिज्य सकांय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानो की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी :–

(1)	कला सकांय हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
	(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)
(2)	विज्ञान सकांय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
	(45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)
(3)	वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण
	(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट कला/विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)। इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।
(4)	अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रत्येक सकांय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंको की छूट अनुमन्य होगी।
(ख)	यदि कोई छात्र स्नातक स्तर के प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर /प्रथम वर्ष के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर मे ं अपना सकांय (e.g. स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/ महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु नियम 2–1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सचूी (Merit Index) में आने पर एवं संबधित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।
2.2	शिक्षणेत्तर कार्य–कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/निदेशकों/ सकांयाध्यक्षो ं की सस्ंतुति पर प्रवेश विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होगें।
2.3	परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन–पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।

2.4	स्नातक कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता–क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

3. महाविद्यालय में निम्न सकांय/विभाग/विषय संचालित किए जा रहे हैं

3.1 कला संकाय

1. संस्कृत तथा प्राकृत भाषाएं
2. हिन्दी तथा आधुनिक भाषाएं
3. अंग्रेजी तथा अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषाएं
4. राजनीति शास्त्र
5. इतिहास
6. समाजशास्त्र

4. कला संकाय (**Bachelor of Arts (B.A.)** हेतु

प्रवेशार्थी को तीन मुख्य विषयों (Three Discipline Specific Core (DSC)) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक–पृथक समूहों से करना होगा। प्रवेशार्थी का` अपने परिसर/महाविद्यालय/सस्ं थानो ं द्वारा संचालित जी0ई0–सामान्य ऐच्छिक (जेनेरिक इलेक्टिव)) पाठ्यक्रमो ं के एक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशसां के अनुरूप विश्वविद्यालय की व्यवस्था के दृष्टिगत संचालित कला संकाय के विषयो को 06 समुहो ं **A** से **F** में विभाजित करते हुए इनके चयन संबधी निर्देश निम्नवत प्रस्तुत किए जा रहें हैं :

Group A	**Group B**	**Group C**	**Group D**	**Group E**	**Group F**
अंग्रेजी साहित्य (English Literature)		इतिहास (History)	समाजशास्त्र (Sociology)	हिन्दी साहित्य (Hindi Literature)	राजनीति विज्ञान (Political Science)
संस्कृत साहित्य (Sanskrit Literature)					

प्रत्येक विद्यार्थी कला संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में 03 डी0एस0सी0–विषय विशिष्ट मूल (DSC-Discipline Specific Core) विषयों का चयन करेगा।
विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर में चयनित डी0एस0सी0–विषय विशिष्ट मलू (DSC-Discipline Specific Core) विषयों को परिवर्तित करने की अनुमति नही होगी।
विद्यार्थी दिए गए एक समूह से 01 विषय का डी0एस0सी0–विषय विशिष्ट मूल (DSC-Discipline Specific Core) विषय के रूप में चयन कर सकता है।

अतः विद्याथी ं 02 ये अधिक भाषा अथवा साहित्य विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा व 02 से अधिक प्रयोगात्मक विषयो ं का चयन एक साथ नहीं करेगा। प्रवेशार्थी का` अपने परिसर/महाविद्यालय/सस्ं थानो ं द्वारा संचालित जी0ई0–सामान्य ऐच्छिक (जेनेरिक इलेक्टिव)) पाठ्यक्रमो ं के एक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।

नोट : (1) बी0ए0 प्रथम सेमेस्टर में व` ही अभ्यर्थी गणित/ सांख्यिकी विषय चयन कर सकते ह ै जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा गणित से उत्तीर्ण की हो।

8. कोर एवं ऐच्छिक विषय (**DSC/DSE/GE)**

8.1 एसे विद्यार्थी जो 03 डी0 एस0 सी0 पाठ्यक्रमो में प्रवेश लेगें उन्हें प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चयन करना होगा। विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय चयन की सुविधा होगी।

8.2 DSC/DSE/GE किसी भी विषय में 04 क्रेडिट का होगा।

8.3 बहुविषयकता (Multidisciplinary) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर सामान्य ऐच्छिक (GE) समस्त विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन कोर विषयों के अतिरिक्त) स्ट्रक्चर मे ं वर्णित प्रावधानों के अनुरूप लेना होगा। सामान्य ऐच्छिक का चनुाव विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में सचालित विषयो के अनुरूप किया जाएगा। चुने हुए सामान्य ऐच्छिक (GE) की कक्षाएं संकाय में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ होगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ सचांलित की जाएगी।

9. ए0 ई0 सी0–क्षमता संवधर्न पाठ्यक्रम (**Ability Enhancement Course**) : विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों में चार क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य हागे। यह पाठ्यक्रम प्रत्येक सेमेस्टर मे ं 02 क्रेडिट का होगा।

10. एस0 इ0 सी0–कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (**Skill Enhancement Course**) : स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम तीन वर्षो (06 सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक–एक कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Pool/ Recognized online plateforms से पूर्ण करना होगा। विद्यार्थी यदि प्रवेश के समय प्रगतिशील स्वभाव के कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम का चयन करता है तथा सेमेस्टर पूर्ण करने के उपरातं वह उसे परिवर्तित करना चाहता तो उसे ऐसे कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम का चयन करना होगा जो कि प्रगतिशील स्वभाव का न हो। प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान अपनी आतं रिक शैक्षणित नीतियो ं एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेंगें।

11. वी0 ए0 सी0–मूल्य योजन पाठ्यक्रम (**Value Added Course**) : स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (04 सेमेस्टर्स) के प्रत्यके सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक–एक मूल्य योजन पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। विद्यार्थी को मूल्य योजन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर मे ं पर्यावरण विषय (Environment) का अध्ययन करना अनिवार्य होगा।

12. आई0 ए0 पी0 सी0 (इन्टर्नशिप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी आउटरीच)/फील्डवर्क पाठ्यक्रम : इन्टर्नशिप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी आउटरीच/फील्डवर्क पाठ्यक्रम को तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर (02 सेमेस्टर) में पूर्ण करना अनिवार्य है। प्रत्येक विद्यार्थी का` तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर मे ं 04 क्रेडिट का IAPC/Fieldwork से संबधित एक पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

इसके अतिरिक्त किसी विषय में मेजर प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को FYUP के अन्तगर्त 80 क्रेडिट अर्जित करने की आवश्यक होती है। यदि विद्यार्थी को विषय विशिष्ट मलू (DSC) का` परिवर्तित किए जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है तो विद्यार्थी का किसी भी मलू विषय मे ं मेजर पूर्ण किया जाना संभव नहीं होगा, जिससे क्रेडिट संरचना बाधित होगी और शैक्षणिक प्रगति प्रभावित होगी। अतः किसी भी विद्यार्थी का किसी भी सेमेस्टर में अपने प्रवेश के समय आबटित किए गए विषय विशिष्ट मूल (DSC) मे ंपरिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा।

13. **Minor Project :** स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष में विद्यार्थियों का`किसी एक सेमेस्टर में एस0ई0सी0 (SEC) के अन्तगर्त चयनित पाठयाक्रमों में एक लघु शोध प्रबंध पूर्ण करना होगा।

14. **Data Science :** कला वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में एस0इ0 सी0 (SEC) के अन्तगर्त डाटा साइंस से संबंधित किसी एक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक हागे। होगें।

15.

GE (Generic Elective)

S.I. No.	Subject	GE
1.	Sociology	GE-1 Indian Social System GE-2 State Welfare Interventions in India GE-3 Culture and Society of Uttarakhand GE-4 Uttarakhand: Prospects and Problems GE-5 Media and Society GE-6 NGOs and Development in India GE-7 Health and Sanitation in India GE-8 Social Psychology GE-9 Social Movements in India GE-10 Gender and Society
2.	Hindi	GE-2 हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास (रीतिकाल एवं आधुनिक काल) GE-3 लोक साहित्य GE-4 विज्ञान कथाएं GE-5 सामान्य साहित्यिक सिद्धान्त GE-6 राष्ट्रवादी हिन्दी काव्य GE-7 अनुवादः सिद्धांत और स्वरूप GE-8 हिन्दी पत्रकारिता GE-9 आधुनिक पाश्चात्य विचारधारांए और सिद्धांत GE-10 विशिष्ट अध्ययनः कबीर GE-11 गढ़वाली साहित्य GE-12 गढ़वाली भाषा GE-13 प्रेमचन्द GE-14 विशिष्ट अध्ययनः सूरदास
3.	Sanskrit	GE-1 श्रीमद्भगवद्गीता में आत्मप्रबन्धन GE-2 श्रीमद्भगवद्गीता मे ं कर्मयोग GE-3 संस्कृत साहित्य मे ं मानवीय मूल्य GE-4 संस्कृत साहित्य मे ं बोधिचित्त GE-5 संस्कृति साहित्य मे ं राष्ट्रीय चेतना

		GE-6 स्वास्थ्य विज्ञान GE-7 (1) अर्वाचीन संस्कृत साहित्य एवं साहित्यकार GE-7 (2) आर्षकाव्य रामायण GE-8 (1) उत्तराखण्ड के संस्कृत साहित्यकार GE-8 (2) आर्षकाव्य महाभारत GE-9 (1) धर्मशास्त्र– सामाजिक एवं विधि सम्बन्धी GE-9 (2) नीतिशास्त्र– राजनीति सम्बन्धी GE-10 (1) कौटिलीयं– अर्थशास्त्रम् (विनियाधिकरणम्) GE-10 (2) पातञ्जलयोगसूत्र
4.	English	GE-1 Professional Writing-I GE-2 Professional Writing-II GE-3 Creative Writing GE-4 Graphic Narrative GE-5 Women's Writing GE-6 Eco-Narratives GE-7 (1) Indian Classical Literature GE-7 (2) Latin American Literature GE-8 (1) Literature of the Partition GE-8 (2) Literature and Disability GE-9 (1) African Literature GE-9 (2) Canadian Literature GE-10 (1) Gender Studies GE-10(2) Australian Literature
5.	History	GE-1 (1) Cultural History of Uttarakhand GE-1 (2) Social Patterns and Cultural Formations of the Ancient World GE-2 (1) Science and Technology in Ancient India GE-2 (2) Medieval Societies: Global Perspectives GE-3 Cultural Relations Between India and South-East Asia GE-4 History of Tribes in Uttarakhand GE-5 Women in Indian History GE-6 History of Freedom Struggle in Uttarakhand GE-7 (1) Religious Thought in Ancient India

		GE-7 (2) Nationalism and Idea of freedom in 20th Century World GE-8 (1) Gandhi in History: Life, works and ideas GE-8 (2) Introduction to Archaeology GE-9 (1) History of the Indian Diaspora GE-9 (2) Museum and Archives in India GE-9 (3) Global Environment History GE-10 (1) Orality and Oral Culture in India GE-10 (2) Understanding Heritage GE-10 (3) Making of post-independent India
6.	Political Science	GE-1 Awareness of Civil Rights GE-2 Issues of Women's Empowerment GE-3 Human Rights GE-4 Public Policy And Analysis GE-5 Research Methodology GE-6 Environmental Governance GE-7 (1) Nationalism in India GE-7 (2) Dynamics of Indian Political System GE-7 (3) Modern Indian Political Thought GE-8 (1) Gandhian Discourse in Politics GE-8 (2) Ethics and Politics in India GE-8 (3) Peace and Conflict Resolution GE-9 (1) Environmentalism GE-9 (2) Politics of Globalisation GE-9 (3) India in the Contemporary World GE-10 (1) ICT and Social Sciences GE-10 (2) Democracy and Development in India GE-10 (3) An Introduction to Civil Society

16. List of AEC's

S.N.	Subject	Year	Semester	Title of the Course
1	English	1	I	English Communication in Practice
			II	Written Communication
		2	III	Communication through Digital Tools
			IV	Functional Translation
2	Hindi	1	I	हिन्दी भाषा : व्याकरण (खण्ड अ)
			II	हिन्दी भाषा : व्याकरण (खण्ड ब)
		2	III	हिन्दी भाषा : स्वरूप (खंड–अ)
			IV	हिन्दी भाषा : स्वरूप (खंड–ब)
3	Sanskrit	1	I	संस्कृत भाषा एवं साहित्य
			II	संस्कृत व्याकरण–संज्ञा प्रकरण
		2	III	संस्कृत व्याकरण–सन्धि एवं उपसर्ग परिचय
			IV	संस्कृत व्याकरण–कारक एवं प्रत्यय
6	Reasoning and Aptitude		IV	Optional in UG fourth semester (Note : Student can also opt for any other modern Indian Language/ Foreign Language from recognised online learning platforms)

17. **LIST OF SKILL ENHANCEMENT COURSES (SEC'S)**

S.No.	SUBJECT	YEAR	SEMESTER	NAME OF THE COURSE
1.	English	1	I	Public Speaking and Leadership Skills
			II	Creativity and Performances in Uttarakhand
		2	III	Academic Writing
			IV	Editing and Proofreading
		3	V	Language and Journalism
			VI	Film Appreciation
2.	Hindi	1	I	प्रयोजनमूलक हिन्दी एवं शासकीय पत्र लेखन
			II	हिन्दी में भाषा कम्प्यूटिंग एवं संचार
		2	III	रचनात्मक लेख न का परिचय
			IV	सोशल मीडिया लेखन
		3	V	पटकथा लेखन
			VI	गढ़वाली भाषा एवं संस्कृति
3.		1	I	Techniques of Social Research- I (Research Problem Identification and Data Collection)
			II	Techniques of Social Research - II (Data Management, Analysis, and Presentation)
		2	III	Applied Anthropology- I

	Sociology			(Know Your People: Understanding the Ethnic Diversity of Uttarakhand)
			IV	Applied Anthropology -II (Tribal Skills: Challenges and Opportunities)
		3	V	Public Policy-I (Public Policy Formulation and Stakeholders)
			VI	Public Policy-II (Public Policy Evaluation and Impact Assessment)
4.	Sanskrit	1	I	नित्यनैमित्तिक अनुष्ठान
			II	संस्कृत संगणक
		2	III	ज्योतिषशास्त्र के मूलभूत सिद्धान्त
			IV	संस्कतृ छन्द एवं संगीत
		3	V	रंगमंच के सिद्धान्त
			VI	भारतीय वास्तुकला
5.	History	1	I	Art Appreciation: Art and Architecture in Ancient and Early Medieval India (From Earliest times to 1200 CE)
			II	Art Appreciation: Art and Architecture in Medieval and Modern India (From 1200 CE to 1950 CE)
		2	III	Cultural Heritage Management in Uttarakhand
			IV	Exploration in History : Research and Analysis
			V	Conservation of Museums and Archives in India
			VI	Heritage Tourism in India
6.	Political Science	1	I	Introduction to Politics and Political Process
			II	Political Leadership
		2	III	Governance & Public Policy
			IV	Introduction to the Indian Constitution
		3	V	Leadership in Democracy
			VI	Political Training

नोट : कला वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर मे SEC के अन्तर्गत Data Science से संबंधित कोई एक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक होगा।

List of VAC'S

Pool	Year	Semester	Title of the Course
M	1	I	Environmental Studies and Value Education
		II	Vedic Studies
			or Moral Education
	2	III	Personality Development through Applied Philosophy of Ramayana and Ramcharitmanas
		IV	Indian Traditional Knowledge System

छात्रों के विकासोन्मुखी पाठ्येत्तर कार्यक्रमः छात्रों के बहुमुखी विकास हेतु महाविद्यालय में निम्नलिखित

सुविधाओं की व्यवस्था हैः–			
1.	राष्ट्रीय सेवा योजना	2.	महाविद्यालय ऐलुमिनी एसोसिएशन
3.	क्रीडा परिषद	4.	महाविद्यालय पत्रिका
5.	सांस्कृतिक परिषद	6.	विभागीय परिषद
7.	छात्र संघ	8.	आंतरिक गुणवता मूल्यांकन प्रकोष्ठ
9.	महिला प्रकोष्ठ	10.	शिक्षक अभिभावक संघ
11.	केरियर काउंसलिंग प्रकोष्ठ	12.	रोवर रेंजर
13.	एंटी रेगिंग प्रकोष्ठ	14.	ऐड ऑन पाठ्यक्रम
15.	रेड क्रॉस	16.	उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र

1. **राष्ट्रीय सेवा योजनाः** इसके अन्तर्गत समाज सेवा के विभिन्न कार्य जैसे–श्रमदान, पर्यावरण संवर्धन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, अनुसूचित जाति कल्याण, साक्षरता, रक्तदान आदि से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये जाते है। वर्तमान में एन.एस.एस. में अधिकृत प्रवेश स्थान 100 हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा छः विभागों में **राष्ट्रीय** सेवा–योजना के 'बी' एवं 'सी' प्रमाण–पत्र धारक स्वयंसेवियों की सेवा नियुक्ति में वरीयता/अधिमान दिया जाना प्रस्तावित है।
2. **क्रीडा परिषद् :** महाविद्यालय में अध्ययन–अध्यापन के साथ ही खेल–कूद की विभिन्न गतिविधियां भी संचालित की जाती है, जिसमें समस्त छात्र–छात्राओं के प्रतिभाग का प्रावधान है। महाविद्यालय में वार्षिक **क्रीडा** प्रतियोगिता के साथ ही क्रिकेट, वालीबॉल, बैडमिण्टन, शतरंज आदि खेलों की अंतर संकाय प्रतियोगिताओं का भी समय–समय पर आयोजन किया जाता है। 2016–17 से छात्र–छात्राओं हेतु टेबल–टेनिस खेल का भी शुभारम्भ

हो चुका है, एथलेटिक्स टीम के लिए महाविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय की विभिन्न टीमों को विश्वविद्यालय की अन्तरमहाविद्यालय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग हेतु भी भेजा जाता है।

3. **सांस्कृतिक परिषद् :** विद्यार्थियों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से इस परिषद का गठन किया गया है। यह कार्य महाविद्यालय के 'संस्कृति' क्लब द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से संपन्न होता है। यह क्लब नियमित अन्तराल पर लोक गायन, लोक–नृत्य, कविता आदि की अन्तर संकाय प्रतियोगिताएं आयोजित करता है जिनमें भागद लेकर छात्र/छात्राएं अपनी सांस्कृतिक अभिरूचियों का प्रदर्शन एवं पोषण करते है।

4. **छात्र–संघः** छात्र संघ चुनाव माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश संख्या S.L.P(Civil)No. 24295/2004/दिनांक 24–6–2004 जो अपर महाअधिवक्ता भारत सरकार के पत्र संख्या 4240 दिनांक 23.10.2006 द्वारा अधिसूचित एवं उच्च शिक्षा सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश संख्या 184/xxxiv(6)/2007-3(168)/2001 दिनांक 27–02–2007 से प्रेषित व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय पर लागू करने के सम्बन्ध में प्रवेश समिति द्वारा बनाये नियमों के आधार पर छात्र संघ के चुनाव सम्पन्न होंगे।

5. **महिला प्रकोष्ठः** सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महिला उत्पीड़न के मामलों की देख रेख के लिए इस महाविद्यालय में एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ महाविद्यालय में सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित करने हेतु प्रतिबद्ध है। यह प्रकोष्ठ छात्राओं के लिए निःशुल्क कराटे एवं योग प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन नियमित अन्तराल पर करता रहता है, साथ ही महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञों के व्याख्यान भी आयोजित करता है।

6. **कैरियर काउन्सलिंग प्रकोष्ठः** हमारे महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के रोजगार संबंधी परामर्श देने के लिए इस प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। रोजगार मिलने के अवसरों के साथ ही राष्टन्नीय तथा अन्तराष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की सूचनायें इस प्रकोष्ठ से प्राप्त की जा सकती है।

7. **महाविद्यालय पत्रिका :** छात्र/छात्राओं के व्यक्तित्व निर्माण में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी सृजनात्मक क्षमताओं की अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करने के उद्देश्य से महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका 'कालिंदी' का प्रकाशन नियमित रूप से किया जा रहा है। इसमें छात्रों की स्तरीय रचनाओं का प्रकाशन किया जाता है। रचनाएं सादे कागज में एक ओर पर्याप्त हाशिया छोड़कर टंकित अथवा स्पष्ट हस्तलेख में होनी चाहिए। ज्वलन्त समस्याओं पर लेख, साक्षात्कार अथवा रचनात्मक विधाओं (जैसे–कविता, कहानी, संस्करण आदि) से संबधित रचनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

8. **एल्यूमिनाई एसोसिएशन :** महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को महाविद्यालय से जोड़े रखने के लिए महाविद्यालय में 'एल्यूमिनाई एसोसिएशन' का भी गठन किया गया है। इसके माध्यम से हर भूतपूर्व विद्यार्थी अपने को हरदम महाविद्यालय परिवार का अंग महसूस करता है तथा वर्तमान छात्र–छात्राओं को उन्नति के लिए प्रेरित भी करता है।

9. **ऐकेडमिक क्लबः** महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र के दौरान विभिन्न प्रकार की शैक्षिणक गतिविधिया° जैसे क्विज, भाषण प्रतियोगिता, सेमीनार एवं वाद–विवाद प्रतियोगिताएं समय–समय पर संचालित करायी जाती है। जिसमें विजयी छात्र–छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता है।

10. आंतरिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रकोष्ठ : नैक व्यवस्थांतर्गत इस प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ का दायित्व आंतरिक मूल्यांकन द्वारा महाविद्यालय स्तर पर उच्च शिक्षा की उत्कृष्ट गुणवत्ता बनाये रखना है।

11.अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति एंव अल्प आय वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति :यह छात्रवृत्ति उक्त वर्ग के उन विद्यार्थियों को दी जाती है जो महाविद्यालय के नियमित छात्र है। इच्छुक विद्यार्थी महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑन लाईन फॉर्म भर कर उसकी एक प्रति महाविद्यालय में निर्धारित तिथि पर जमा करें। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले समस्त विद्यार्थियों को किसी भी बैंक की सी0बी0सी0एस0 शाखा में खाता खोलना आवश्यक है। ऑन लाइन छात्रवृत्ति आवेदन होने पर यदि किसी प्रकार से समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति देय नहीं होती है तो महाविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृति हेतु चैक लिस्ट(आवश्यक अभिलेख)

1. गतवर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र की प्रमाणित प्रति।
2. निम्न तथ्यों के साक्ष्य में रू. 10/– के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित संलग्न किया जाना आवश्यक हैः–

 (i) xSi (Gap) के सम्बन्ध में शपथ पत्र (ii) समकक्ष/अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त न करने के सम्बन्ध में (iii) छात्र/छात्रा की स्वयं की आय को सम्मिलित करते हुए छात्र के परिवार की समस्त स्रोतों के कुल मासिक आय के सम्बन्ध में। (iv) कहीं भी पूर्णकालिक सेवा में कार्यरत् न होने के सम्बन्ध में। (v) छात्र/छात्रा के माता/पिता/पति के शासकीय/गैर शासकीय सेवा में कार्यरत होने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त सभी स्रोतों से कुल मासिक वेतन;वेतन, मंहगाई, भत्ता, मंहगाई वेतन तथा अन्य भत्तों सहित) वेतन प्रमाण पत्र (वेतनस्लिप) की प्रमाणित प्रति। (vi) अन्य राज्य या श्रोत से छात्रवृत्ति न प्राप्त करने की शपथ।

3. छात्र/छात्रा का प्रमाणित फोटो।
4. शुल्क रसीद की छायाप्रति।
5. पूर्व कक्षा की अंकतालिका की छायाप्रति।
6. स्थायी निवास प्रमाण पत्र की सत्यालिपि।
7. जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिप।
8. हॉस्टल में रहने का प्रमाण पत्र।
9. छात्र/छात्रा का बैंक की पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति

12.छात्र संघ (Student Union)

सत्र 2016–17 से राजकीय महाविद्यालय के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने पर भी उनमें छात्र संघ चुनाव माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश संख्या **S.L.P. (Civil) No** 24295/2004/ दिनांक–24/06/2004 जो अपर महाअधिवक्ता भारत सरकार के पत्र संख्या 4240 दिनांक– 23/10/2006 द्वारा अधिसूचित एवम् उच्च शिक्षा सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश सं. 184/**रग्प्ट**/2007–3(168)/2001, दिनांक–27/02/2007 से प्रेषित व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय पर लागू करने के सम्बन्ध में प्रवेश समिति द्वारा नियमों के आधार पर छात्र संघ के चुनाव सम्पन्न होगें।

आचार संहिता

समस्त छात्रों पर लागू होने वाली आचार संहिता निम्नवत् है

खण्ड–1

छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार पर अंकुश–छात्रों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा दो या अधिक छात्रों अथवा व्यक्तियों के समूह में निम्नलिखित गतिविधियां अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार समझा जायेगा।

1. विश्वविद्यालय अथवा उसके किसी संस्थान अथवा ऐसे संस्थान की किसी इकाई में किसी शिक्षक, कार्यकारी किस अभिकरण इकाई अथवा अन्य निकाय के सदस्य, शिक्षणोत्तर कर्मचारी अथवा ऐसे किसी संस्थान अथवा इकाई के छात्र अथवा अधिकारिक नियन्त्रण पर अथवा किसी प्रशासनिक या शैक्षणिक कार्य हेतु परिसर में किसी आगन्तुक पर शारीरिक प्रहार, शारीरिक बल प्रयोग की धमकी अथवा कोई अन्य धमकाने वाला व्यवहार।
2. किसी भी रूप में विश्वविद्यालय तंत्र के किसी संस्थान अथवा संस्थान की इकाई में शिक्षण एवं अन्य शैक्षिक क पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं एवं अन्य सुविधाओं के कार्यकलापों, प्रवेश एवं परीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रशासनिक कार्यों किसी भी प्रकार से बाधा पहुचाना।
3. विशेष निर्णय जिन पर विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में नियन्ता अथवा अन्य संस्थाओं के सन्दर्भ में सम्बन्धित संस्थान में अनुशासन निर्वहन हेतु उत्तरदायी अधिकारी की अनुमति के बिना विश्वविद्यालय एंव किसी भी संस्थान के परिसर में लाउडस्पीकरों अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग।
4. विश्वविद्यालय के किसी भी संस्थान अथवा एक से अधिक संस्थानों या किसी संस्थान की इकाई द्वारा अपने परिसर में या अन्य आयोजित किसी शैक्षिक परिभ्रमण अथवा शिक्षण, शिक्षणोत्तर अथवा साहित्यिक, सांस्कृतिक अन्य समकक्ष कार्यक्रमों में अनुचित व्यवहार।
5. उपखण्ड 4 में उल्लिखित किसी कार्यक्रम के रैफरियों, एम्पायरों या निर्णायकों के निर्णय का अनुपालन न करना अथवा विरोध करना।
6. विश्वविद्यालय की किसी संस्थान या ऐसे संस्थान की इकाई अथवा ऐसे संस्थान व इकाई से सम्बन्धित किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने वाले असत्य वक्तव्य अथवा किसी साहित्य या दस्तावेज जिनमें पत्रावलियां पंपलेट, पोस्टर, प्रेस अधिसूचनायें आदि सम्मिलित है का प्रदर्शन एवं वितरण।
7. आपत्तिजनक वस्तुओं एवं पदार्थों का रखना एवं वितरण।

8. ऐसा कोई वक्तव्य जो व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह मध्य के मनमुटाव अथवा धार्मिक, सामाजिक, क्षेत्रीय अथवा भाषायी आधार असहिष्णुता उत्पन्न करता हो अथवा उसका कारण बन सकता है।
9. कोई वक्तव्य जो विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों अथवा उपनियमों अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों को अवहेलना करता हो।
10. किसी सशस्त्र के रखने प्रदर्शन करने अथवाउससे धमकाने।
11. कोई वक्तव्य जो अन्य व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को प्रभावित करता हो अथवा अन्य व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता हो अथवा शारीरिक हिंसा करता हो अथवा अभद्र भाषा प्रयोग हो। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 की अवहेलना।
12. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित छात्रों की प्रतिष्ठा अथवा सम्मान की कोई अवहेलना।
13. महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार युक्त अथवा यौन उत्पीड़न का भान कराने वाला कोई मौखिक अथवा अन्य वक्तव्य या व्यवहार।
14. मिथ्या कथन अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।
15. विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी किसी इकाई के नाम के किसी कार्यÿम की योजना अथवा किसी संचार या प्रतिवेदन में अनाधिकृत प्रयोग अथवा सम्बन्धित संस्थान अथवा इकाई द्वारा स्पष्ट रूप से अधिœत उद्देश्यों से भिन्न मन्तव्यों हेतु प्रयोग।
16. किसी भी रूप में रिश्वत् देने का कोई प्रयास अथवा कोई अन्य भ्रष्ट आचरण।
17. कोई ऐसा वक्तव्यजो विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी इकाई की सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंचाता हो अथवा उसे नष्ट करता हो अथवा उसके मूल रूप को भ्रष्ट करता हो।
18. कोई वक्तव्य जेा निषिद्द भवनों अथ्वा क्षेत्रों में अनाधिकृत उपस्थिति अथवा प्रवेश या उल्लंघन सदृश्य हो तथा विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी इकाई के भवनों पर कब्जा।
19. ऐसा कोई वक्तव्य जो विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी उसकी इकाई के कार्यकलापों में किसी वाह्य व्यक्ति अथवा संस्थान या प्राधिकारी के हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करता हो अथवा उसका आशय रखता हों।
20. अनाधिकृत कोश संग्रह।
21. मदिरा अथवा अन्य मादक द्रव्य रखने, वितरित करने अथवा सेवन करने या सेवन करने के उपरान्त विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी किसी इकाई में प्रविष्ट होना।
22. नैतिक अधमता सदृश्य कोई वक्तव्य।
23. कोई अन्य वक्तव्यजो विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी इकाई के अधिकारियों अथवा कार्य करने के अभिमत में एक छात्र के रूप में अनुचित हो।
24. खण्ड–2 में पारिभाषित रैगिंग करने सम्बन्धी अथवा उसमें लिप्त होने सम्बन्धी कोई कृत्य।
25. छात्रों को परिसर में मोबाईल फोन अथवा किसी अन्य इलैक्टन्रेनिक यंत्र पर संगीत सुनना अथवा कोई दृश्य सामग्री देखना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है।

खण्ड–2

पहचान की स्थापना एवं चरित्र का प्रमाणीकरण

विश्वविद्यालय ने रैगिंग की समस्या के नियंत्रण हेतु सू.जी.सी. के नियम अपने परिसर में रैगिंग की प्रभावशाली रोकथाम हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश 2009 मार्च तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र संख्या–310/04/एस.आई.ए., दिनांक –26 फरवरी, 2009 तथा 17 मार्च 2009 को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित प्रावधान किये हैं।

रैगिंग से सम्बन्धित अभिप्राय है

Any disorderly conduct whether by words spoken of written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness any other student[including in rowdy or undisciplined activities which causes or is likely to cause embarrassment, hardship or psychological harm, or to raise fear of apprehension thereof in fresher or a junior student or asking the students to do any act or perform something which Such students will not in the ordinary course do or perform and which has the effect of causing or generating a sense of shame or so as to adversely affect the physique or psyche of a fresher or a junior student. Any of the above acts committed by any student of the same or junior or senior class shall be deemed to be ragging.

2. रैगिंग से सम्बन्धित दण्ड

- रैगिंग करने के लिए उकसाना।
- रैगिंग करने के लिए अपराध षड़यंत्र।
- रैगिंग हेतु गैरकानूनी सभा एवं दंगा करना।
- रैगिंग के दौरान सार्वजनिक उपद्रव करना।
- रैगिंग के माध्यम से शालीनता एवं नैतिकता का उल्लंघन।
- रैगिंग शारीरिक नुकसान एवं गम्भीर चोट।
- अनुचित रूप से अथवा प्रतिबन्धित करना।
- अनुचित रूप से बंधक बनाना।

- अपराधिक बल का प्रयोग करना।
- साथ ही आमत्रण अथवा यौन अपराध या अप्राकृतिक अपराध।
- जबरन वसूली।
- अपराधिक अतिक्रमण
- सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध।
- अपराधिक रूप से धमकाना।
- रैगिंग के शिकार अथवा शिकारों में उपरोक्त में से किसी अथवा सभी कृत्यों को करने का प्रयास।
- रैगिंग की परिभाषा से जनित समस्त अपराध।

3. दण्ड

संस्था की रैगिंग निरोधक समिति के अभिमत में अपराध की स्थापित प्रगति एवं गंभीरता के आधार पर संस्थागत स्तर पर रैगिंग के दोषी पाये गये व्यक्तियों को दिये दण्ड निम्न में कोई एक अथवा उसका समूह हो सकता है।

- प्रवेश निरस्त किया जाना।
- कक्षा से निलम्बन।
- छात्रवृत्ति तथा अन्य लाभ रोके रखना अथवा निरस्त करना।
- किसी भी परीक्षा अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया से वंचित करना।
- परीक्षा परिणाम रोकना।
- किसी भी क्षेत्रीय, राष्टन्रीय एवं अन्तर्राष्टन्रीय संस्था अथवा युवा महोत्सव संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
- छात्रावास से निष्कासन।
- निरस्तीकरण।
- संस्था से एक से चार सेमेस्टर अवधि हेतु निष्कासन।
- संस्थान से निष्कासन एवं तदोपरान्त अन्य किसी संस्था में प्रवेश से वंचित किया जाना।
- रु. 25 हजार का जुर्माना।
- जब रैगिंग का अपराध करने वाले व्यक्तियों को न पहचाना जाय तब सम्भावित रैगिंगकर्ताओं पर सामुदायिक दबाव बनाने हेतु संस्था सामूहिक दण्ड का प्रयोग करेगी।

पहचान की स्थापना एवं चरित्र का प्रमाणीकरण

1. विश्वविद्यालय के प्रत्येक परिसर में प्रवेश प्राप्त छात्र को नियन्ता कार्यालय द्वारा एक पहचान पत्र जारी किया जायेगा। किसी छात्र को जारी पहचान पत्र को ही उसके विश्वविद्यालय का छात्र होने का एक मात्र प्रमाण माना जायेगा। नियन्ता मण्डल के किसी सदस्य के मांगने पर प्रत्येक छात्र को अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मांगे जाने पर पहचान पत्र प्रस्तुत करने में किसी छात्र के असमर्थ रहने की स्थिति में उसे अनाधिœत प्रवेशकर्ता माना जायेगा एवं उसके विरूद्ध (विश्वविद्यालयें के नियमों का अधीन) कार्यवाही की जायेगी। पहचान पत्र खो जाने की सूचना नियन्ता कार्यालय को देना होना तथा नियन्ता कार्यालय से इस आशर का आवेदन प्रवेश शुल्क की रसीद की छायाप्रति संलग्न करते हुए तथा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्रतिलिपि पहचान पत्र नियन्ता कार्यालय से प्राप्त करना होगा।

2. मांग करने पर छात्रों को चरित्र प्रमाण पत्र नियन्ता कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। अक्सर नौकरी के लिए आवेदन करते समय छात्रों से समुचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। नियन्ता द्वारा अधिकृत रूप से जारी चरित्र प्रमाण पत्र को सामान्यतः छात्र/छात्रा का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है लिखित आवेदन करके निर्धारित शुल्क जमा करने पर छात्रों को जितनी बार आवश्यकता हो चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। परन्तु जिन छात्रों को ब्लैक लिस्ट किया गया हो अथवा जिन्हें आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया हो अथवा रैगिंग में लिप्त पाया गया हो उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

महिलाओं के सम्मान की रक्षा हेतु विशेष प्राविधानः

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं तदोपरान्त जारी शासन व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जुलाई 2004 में महाविद्यालय में महिलाओं के विरूह यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया। यह प्रकोष्ठ जिसमें प्रमुख रूप से महिला सदस्य सम्मिलित हैं, परिसर में महिलाओं के सम्मान की अवहेलना की सूचना का संज्ञान लेता है। इससे आगे बढ़ते हुये एक विशेष पहल के रूप में महिला छात्राओं में आत्म विश्वास संवर्ह्न हेतु प्रकोष्ठ द्वारा सैन्य विधाओं एवं योग की कक्षायें आयोजित की जाती है। प्रकोष्ठ महिला सशक्तिकारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष व्याख्यान भी आयोजित की जाती है। यह प्रकोष्ठ महाविद्यालय द्वारा महिला छात्रों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का पर्यवेक्षण भी करता है तथा महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ का गठन निम्नवत् किया गया हैः–

1. **डॉ. शैफाली शुक्ला – संयोजक**

Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Student

कालेज एवं विश्वविद्यालय विद्यार्थियों हेतु केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना

भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मन्त्रालय के उच्चत्तर शिक्षा विभाग/राष्ट्रीय छात्रवृत्ति अनुभाग के पत्रांक संख्या 1–44/2016–छै–1 (e Scholarship Portal) दिनांक 1–6–2016 एवं निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल, के पत्रांक पृ0सं0 छात्रवृत्ति /4307–4416/2016–17 द्वारा कालेज एवं विश्वविद्यालयों के अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु राष्टन्रीय छात्रवृत्ति योजना संचालित है। इस योजना से लाभान्वित विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की धनराशि सीधे उनके बैक खाते में भेजी जाती है।

इस योजना हेतु 1–8–2015 से National e Scholarship Portal (Ne-Sp) का आरम्भ किया गया है ताकि विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जा सके। इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाने के लिये योग्य अभ्यर्थी National e Scholarship Portal पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रभारी छात्रवृति : डॉ. बीना रानी जोशी, प्राध्यापक संस्कृत विभाग

अनुशासनः

अनुशासक मण्डल महाविद्यालय में स्वच्छ एवं अनुशासित शैक्षणिक वातावरण बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। समय–समय पर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा नियम बनाए जाते है। जिनका अनुपालन करना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। अनुशासक मण्डल का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है। किसी भी विद्यार्थी द्वारा अनुचित व्यवहार व किसी नियम का उल्लंघन करने पर अनुशासक मण्डल को पूर्ण अधिकार है कि वह विद्यार्थी के विरूद्ध उचित कार्यवाही करे।

रैगिंग निरोधक समिति/रैगिंग निरोधक दस्ता

माननीय उच्चतम न्यायलय के पत्र सं0 310/04/एस0आई0ए0 दिनांक 26 फरवरी 2009 तथा 17 मार्च 2009 को

दृष्टिगत रखते हुये यू0जी0सी0 एवं कुलाधिपति (महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड शासनद्ध के निर्देशानुसार महाविद्यालय में भी एक रैगिंग निरोधक समिति (Anti ragging Committee) एवं रैगिंग निरोधक दस्ता (Anti ragging Squad) का गठन किया जाता है जो कि महाविद्यालय परिसर में रैगिंग सम्बन्धी किसी भी प्रकार की गतिविधि पर सख्ती से नजर रखती है तथा ऐसी किसी भी घटना पर कठोर कार्रवाई हेतु सबल संस्तुति भी प्रदान करती है।

सभी छात्र–छात्राऐं अपने प्रवेश आवेदनपत्र के साथ ऑन लाइन एन्टी रैगिंग फार्म भरकर जमा कराऐं।

www.antiragging.in

www.amanmovement.org

13.पुस्तकालय : पुस्तकालय से पुस्तके प्राप्त करते समय विद्यार्थियों को स्वयं अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना पुस्तकें निर्गत नहीं की जायेगी। पुस्तकें उपलब्ध होने पर स्नातक स्तर पर 02 पुस्तकें स्नातकोत्तर स्तर पर 06 निर्गत की जाती है। पुस्तकालय द्वारा मांगे जाने पर विद्यार्थी को तत्काल पुस्तकें वापस करनी होंगी। पुस्तकों को सुरक्षित रखना विद्यार्थी की जिम्मेदारी होगी। यदि कोई पुस्तक फट जाये, गन्दी हो जाये या किसी भांति नष्ट हो जाये तो उस दशा में विद्यार्थी को नई पुस्तक क्रय कर जमा करनी होगी। विद्यार्थी को निर्गत पुस्तकें परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व लौटानी होंगी। विद्यार्थी को केवल उनके विषयों एंव कक्षा से सम्बन्धित पुस्तकें ही निर्गत की जायेंगी। पुस्तकें निर्गत करने का समय प्रत्येक कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11 बजे से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है।

14.<u>एंटी ड्रग सेल</u> : उत्तराखंड सरकार के नियमान्तर्गत महाविद्यालय और उसके 100 मीटर कर दायरे में धुम्रपान या नशा आदि कि विक्री और सेवन सक्षम अपराध है महाविद्यालय में नशा करना या बेचना ही अपराध है इसलिए महाविद्यालय में नशा को समाज में बढ़ने से रोकने और छात्र छात्राओं के मध्य जागरुकता बढाने के लिए एक प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया है समस्त छात्र छात्राएं भारत सरकार कि वेबसाईट से अपना धुम्रपान निषेध कि कसम का शपथपत्र प्रवेश के समय जमा करेंगे.
https://pledge.mygov.in/fightagainstdrugabuse/

15. <u>उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय</u> : सत्र 2024-25 से महाविद्यालय में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र भी खोल दिया गया जिसमें कला संकाय के स्नातक एवं स्नात्तकोत्तर स्तर पर निम्नलिखित विषयों को चलाया जा रहा है - हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिविज्ञान.

अध्ययन केंद्र कोड : 15032

प्रवेश सम्बधि वेबसाईट : www.uou.ac.in

Annexure - 1

प्रारूप (क)

छात्र द्वारा शपथ–पत्र

1. मैं शपथ पवू र्क प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप मे ं अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूगं ा/रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही मे ं भाग नही लूगं ा/लूगं ी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/ अध्यादेश तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशो ं का पालन करूगा/करूँगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी।

2. मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवदे न पत्र मे ं मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।

3. मैं शपथपवू र्क प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा मे ं प्रवेश नहीं लिया है।

4. मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझ` परीक्षा मे ं बैठने की अनुमति न देने का पू र्ा अधिकार होगा।

5. यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरूद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम मे ं इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) मे ं संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

6. यदि मेरी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं होती है तो मुझ` परीक्षा मे ं बैठने की अनुमति न देने का विश्वविद्यालय का पू र्ा अधिकार रहेगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर–

प्रति हस्ताक्षरित

(सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान के शिक्षक द्वारा)

प्रारूप (ख)

पिता अथवा अभिभावक की घोषणा

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री/कु0/श्रीमती जो मेरे सरं क्षण मे ं रहेगं े/रहेगं ी, विश्वविद्यालय मे ं नामांकित छात्र/छात्रा के रूप मे ं अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेगं ी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा सम्बन्धित प्राधिकारी का निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर–पिता/अभिभावक

शिक्षक कर्मचारी

क्रम संख्या	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद नाम
1.	डॉ. शैफाली शुक्ला	सह आचार्य समाजशास्त्र
2.	डॉ. राकेश मोहन नौटियाल	सहायक आचार्य इतिहास
3.	डॉ. दीपक राणा	सहायक आचार्य अंग्रेजी
4.	डॉ. बीना रानी	सहायक आचार्य संस्कृत
5.	श्रीमति प्रवीन	सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान
6.	कुमारी नीना शर्मा	सहायक आचार्य हिंदी
7.	श्री केदारनाथ भट्ट	प्रधान सहायक
8..	श्री सोहन सिंह रावत	वरिष्ठ सहायक
9.	श्री सतेंदर डोभाल	सहायक पुस्तकालयध्यक्ष
10.	श्रीमति पूजा रानी	पुस्तकालय लिपिक
11.	श्री कुलदीप	अनुसेवक/बुक बाइन्डर
12.	श्री संजय बधानी	अनुसेवक
13.	श्रीमती प्रभा देवी	अनुसेवक
14.	श्री दिनेश कुमार	चौकीदार
15.	अंकित कुमार	स्वच्छक

शैक्षणिक केलेंडर 2026-27

1.	स्नातक प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अंतिम तिथि	मई-जून 2026
2.	प्रथम वरीयता सूचि जारी करना	जुलाई 2026
3.	प्रवेश साक्षात्कार	प्रथम मेरिट जारी होने से 5 दिन तक
4.	प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि	प्रवेश साक्षात्कार से 03 दिन तक
5.	स्नातक द्वितीय/तृतीय प्रवेश की तिथि	विश्वविद्यालय परीक्षाफल घोषित होने के 10 दिन तक
6.	हरेला पर्व	
7.	श्रीदेवसुमन दिवस	25 जुलाई 2026
8.	कारगिल विजय दिवस	26 जुलाई 2026
9.	महाविद्यालय स्थापना दिवस	29 जुलाई 2026
10.	स्वतंत्रता दिवस समारोह	15 अगस्त 2026
11.	शैक्षिक स्तर प्रारम्भ होने की तिथि	**01 अगस्त 2025**
12.	एन.एस.एस भर्ती	अगस्त तृतीय सप्ताह में (प्रथम वर्ष प्रवेश के उपरान्त)
13.	रोवर्स/रेंजर्स भर्ती	अगस्त तृतीय सप्ताह में (प्रथम वर्ष प्रवेश के उपरान्त)
14.	छात्र संघ निर्वाचन	शासन के निर्देशों पर (सितम्बर प्रथम सप्ताह)
15.	एन.एस.एस दिवस	24 सितम्बर 2026
16.	गांधी जयंती	02 अक्तूबर 2026
17.	स्नातक विषम सेमेस्टर आंतरिक परीक्षा	दीपावली अवकाश के उपरान्त
18.	राज्य स्थापना दिवस	09 नवम्बर 2026
19.	विश्व एड्स दिवस	01 दिसम्बर 2026
20.	स्पर्श गंगा दिवस	17 दिसम्बर 2026
21.	वार्षिक क्रीडा समारोह	अक्टूबर - नवम्बर 2026
22.	शीतावकाश	उत्तराखंड शासन के निर्देशों के अनुसार
23.	पराक्रम दिवस	23 जनवरी 2027
24.	एन.एस.एस विशेष शिविर (सात दिवसीय)	जनवरी 2027 के द्वितीय सप्ताह में
25.	स्नातक विषम सेमेस्टर परीक्षा	विश्वविध्यालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार
26.	वार्षिकोत्सव एवं सांस्कृतिक महोत्सव	फरवरी 2027 के द्वितीय सप्ताह
27.	रोवर्स/रेंजर्स दिवस	22 फरवरी 2027
28.	अंतराष्ट्रीय महिला दिवस	08 मार्च 2027
29.	स्नातक सम सेमेस्टर प्रथम आंतरिक परीक्षा	अप्रैल 2027 प्रथम सप्ताह
30.	श्रीदेव सुमन दिवस	25 मई 2027
31.	स्नातक एवं स्नात्तकोत्तर सम सेमेस्टर सत्रांत परीक्षा	विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार
32.	ग्रीष्मावकाश	उत्तराखंड शासन के निर्देशों के अनुसार

नोट : आवश्यकतानुसार तिथियों में परिवर्तन हो सकता है।

प्राचार्य